न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1464–एक/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–3–2014 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील कालापीपल जिला शाजापुर के प्रकरण कमांक 4/अ–13/2013–14

.....

1–करणसिंह पिता सिद्धनाथ

2–ब्रजेश पिता करणसिंह

3–हरीश पिता करणसिंह

समस्त निवासीगण ग्राम डोराबाद तहसील कालापीपल

जिला शाजापुर म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

मंदिर वाके ग्राम डोराबाद व्यवस्थापक कलेक्टर

जिला शाजापुर द्वारा पुजारी राजेश बैरागी पिता प्रभुदास,

निवासी ग्राम डोराबाद तहसील कालापीपल जिला शाजापुर

..... अनावेदक

.....

श्री ए.आर.यादव, अभिभाषक–आवेदकगण

श्री एन.डी.बैरागी, अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 31/11/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील कालापीपल जिला शाजापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–03–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार कालापीपल के समक्ष संहिता की धारा 131, 132, एवं 133 के अन्तर्गत इस आशय

का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम डोराबाद स्थित भूमि सर्वे कमांक 374 रकबा 1.220 हेक्टेयर है और उक्त भूमि पर जाने हेतु रूढिगत रास्ता था जिसे आवेदक द्वारा गेहूँ की फसल बोकर बन्द कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । अनावेदक की ओर से संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत अंतरिम रूप से रास्ता खोले जाने हेतु आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 28–3–14 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन रास्ता खोले जाने के आदेश दिये गये । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक के लिये मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद भी तहसीलदार द्वारा अंतरिम रूप से रास्ता देने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदक के खेत पर जाने हेतु आवेदकगण की भूमि के बगल से पगडंडी का रास्ता था, परन्तु तहसीलदार के आदेश के परिप्रेक्ष्य में अनावेदक ट्रेक्टर एवं बेलगाड़ी ले जाकर रास्ते का उपयोग कर रहे हैं, जिससे आवेदक की फसल नष्ट हो रही है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा बिना विधिवत् स्थल निरीक्षण किये प्रश्नाधीन रास्ता खोले जाने का आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है और उक्त रास्ता रूढिगत रास्ता होने से उसे खुलवाये जाने के लिये आदेश पारित किये जाने में तहसील न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा अभी अंतरिम रूप से रास्ता खोला गया है । प्रकरण का अभी अंतिम निराकरण किया जाना है, जहॉ आवेदक को पर्याप्त अवसर उपलब्ध है कि वह साक्ष्य व प्रमाण से उक्त रास्ता मौके पर नहीं होना प्रमाणित कर सकता है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा रास्ते के प्रकरण में अंतरिम आदेश पारित किया जाकर रास्ता खुलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है ताकि मंदिर पर जाने के लिये ग्रामवासियों को असुविधा न हो । आवेदकगण की ओर से तर्क के दौरान ऐसा कोई आधार नहीं बतलाया जा सका है कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके । ऐसी स्थिति में प्रकरण में यह न्यायिक एवं विधिक आवश्यकता है कि तहसील का आदेश स्थिर रखा जाकर तहसील न्यायालय में प्रचलित प्रकरण में तहसीलदार को 2 माह में अंतिम निराकरण किये जाने के आदेश दिये जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश 28–03–2014 स्थिर रखा जाता है । तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके समक्ष प्रचलित प्रकरण में दो माह में अंतिम आदेश पारित करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर